न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट डाबरी)

पीठासीन अधिकारी : श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आरएएस

मुकदमा नं0 3/31/17 निर्णय दिनांक : 28.05.2018

उनवान

1. मकसूद
2. फकरू
3. अकबर
4. बरकत
5. अरसद
6. सुबदीन पुत्रान उम्मेद जातियान मेव निवासियान ग्राम डाबरी तहसील रामगढ।

..............................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

............अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 344 रकबा 0.50 हैक्ट0 वाके ग्राम डाबरी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी का प्रार्थीगण रिकोर्डेड कब्जे काश्त खातेदार है। जिस आराजी पर प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी की पैमाईश पूर्व में दिनांक 09.06.2017 को की जा चुकी है। परन्तु उस समय पत्थरगढी नही हुई थी। जिस पैमाईश व निशानदेही को पडौसी काश्तकार नही मानते है और परेशान करते है। अतिक्रमण कर दबाना चाहते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 344 रकबा 0.50 हैक्ट0 वाके ग्राम डाबरी तहसील रामगढ जिला अलवर की पैमाईश कर पत्थरगढी वो निशान देही सही माप से प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी कराने की कृपा करें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत डाबरी में दिनांक 28.05.2018 को पेश हुई। प्रार्थीगण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में उपस्थित हुआ उसे सुना गया। मौका पर्चा दिनांक 09.06.2017 द्वारा की गई पैमाईश का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

हल्का डाबरी एवं प्रार्थी अकबर एवं उपसिथत मौतवीरानों के रूबरू ग्राम डाबरी के आराजी खसरा नम्बर 344 के मौके पर पहुचा। मौके पर आराजी खसरा नम्बर 350 व 338 गै0मु0चाह को मुस्तकिल बिन्दु मानकर यहां से जरीब चलाकर आराजी खसरा नम्बर 344 के चारों कोनो को कायम कर प्रार्थी को उक्त आराजी की मेडों से अवगत कराया। प्रार्थी पैमाईश से सन्तुष्ट हुआ। मौका पर्चा मौके पर तैयार कर पढकर सुनाया एवं उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर/ अंगूठा कराये गये।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत डाबरी में दिनांक 28.05.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रार्थी की आराजी की पैमाईश दिनांक 09.06.2017 को की जा चुकी है। उस पैमाईश से प्रार्थीगण सन्तुष्ट है। अतः प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात आधार पर प्रार्थना पत्र 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 344 रकबा 0.50 हैक्ट0 वाके ग्राम डाबरी तहसील रामगढ जिला अलवर की पत्थरगढी नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत डाबरी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)